रजिस्टर्ड सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड ( )

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 1971/पौष 30, 1892

No. 53] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 1971/PAUSA 30, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January 1971

S.O. 364.—Whereas the Central Government has, as required by sub-section (2) of section 78C of the Indian Patents and Designs Act, 1911 (2 of 1911), reconsidered the question whether the direction issued under sub-section (1) of the said section to the Controller by the Notification of the Government of India, Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 235 dated the 20th January, 1970 as published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3(ii), dated the 20th January, 1970 continues to be necessary or expedient in the public interest;

And, whereas, on such reconsideration it appears to the Central Government that the said direction continues to be necessary in the public interest;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of the said section, the Central Government hereby notifies that the said direction continues to be necessary in the public interest.

[No. F.31(3)-PP&D/68.]

R. K. TALWAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी 1971

एस० ओ० 364—यत: केन्द्रीय सरकार ने, जैसा कि भारतीय पेटेन्ट तथा डिजाइन अधिनियम, 1911 के खण्ड 78 (ग) उप-खण्ड (2) के अनुसार आवश्यक है, इस प्रश्न पर कि उक्त खण्ड के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत नियंत्रक को औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा कंपनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) द्वारा सांविधिक आदेश, 235 दिनांक 20 जनवरी, 1970 को अधिसूचना द्वारा जारी किये गये निदेश को जो भारत के राजपत्र भाग (2) खंड 3(2) में दिनांक 20 जनवरी, 1970 को प्रकाशित हुआ था, आगे जारी रखा जाए इस पर पुनर्विचार किया और सरकार इसको जारी रखना जनहित में आवश्यक समझती है।

और पुनर्विचार पर केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत हुआ कि यह निदेश जनहित की दृष्टि से आवश्यक है।

अत: उक्त खण्ड के उप-खण्ड (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार यह अधिसूचित करती है कि उक्त निदेश जनहित में आवश्यक है।

[सं० फा० 31 (3)–पी० पी० एण्ड डी० 68.]

आर० के० तलवार, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971